**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3556**

**03.04.2017 को उत्तर के लिए**

**भागीरथी नदी के किनारे पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र**

**3556. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:**

**श्री विवेक गुप्ता:**

 क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को उत्तराखण्ड में बहने वाली भागीरथी नदी के किनारे पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र बनाये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्ताव के मूलभूत स्वरूप में कोर्इ परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो किये गये परिवर्तन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (घ) मंत्रालय ने भागीरथी नदी के दोनों तटों से 100 मीटर की दूरी सहित गौमुख से उत्‍तराकाशी तक के पूरे भाग को पारि-संवेदी जोन घोषित करने के बारे में दिनांक 01.07.2011 को प्रारूप अधिसूचना सं. का.आ. 1499 (अ) जारी की थी। तथापि, विभिन्‍न हितधारकों का विचार था कि नदी की सीमाओं, जिसमें आवाह क्षेत्र और नदी की सहायक नदियां भी शामिल हैं, की रूपरेखा व्‍यापक परिप्रेक्ष्‍य में प्रस्‍तुत किए जाने की आवश्‍यकता है, तथा सुझाव दिया कि इस जोन की सीमाएं क्षेत्र के वास्‍तविक सर्वेक्षण पर आधारित हों।

तदनुसार, भारतीय सुदूर संवेदी संस्‍थान ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर 4179.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पारि-संवेदी जोन घोषित करने की सिफारिश की है। पारि-संवेदी जोन विशेषज्ञ समिति ने एकमत से 4179.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करते हुए गौमुख से उत्‍तराकाशी तक पारि-संवेदी जोन की सीमाओं की रूपरेखा प्रस्‍तुत करने के लिए जलसंभर दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है।

इस मंत्रालय ने 4179.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल करते हुए गौमुख से उत्‍तरकाशी तक भागीरथी नदी के लगभग 100 किलोमीटर के पूरे जलसंभर क्षेत्र को पारिसंवेदी क्षेत्र घोषित करते हुए दिनांक 18.12.2012 की अधिसूचना संख्‍या का.आ. 2930 (अ) जारी की है।

\*\*\*\*\*